33 11 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के मुख्य महाप्रबंधकों के खिलाफ शिकायतें।

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 मार्च, 2010 और 12 अप्रैल, 2010 का संदर्भ ग्रहण कर यह उल्लेख करे कि कैबिनेट सचिवालय की आईडी संख्या 501/10/1/2010–सीए. वी दिनांक 4.5.2011 के क्रम में सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर अधिकारियों के समूह के सदस्य के तौर पर जोड़े गए हैं जिससे कि वे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के मुख्य महाप्रबंधकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की देखरेख कर सकें।

2. कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वयन) की अध्यक्षता में समूह की नई संरचना निम्नप्रकार होगीः

(i)	कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय)	: अध्यक्ष
(ii)	सचिव, लोक उद्यम विभाग	: सदस्य
(iii)	सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	: सदस्य
(iv)	सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)	: सदस्य

(डीपीई का. ज्ञा.सं. 15(1)/2010–डीपीई(जीएम), दिनांक 11 मई, 2011)

*****